म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्थी./19/P-3/ज.ई./106 भोपाल,दिनांक : 26 /05/2018

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मंडी समिति,
............................जिला ....(म.प्र.)

विषयः—कृषि उपज मंडी समितियों में सुरक्षा व्यवस्थ बावत्।

प्रदेश की मंडी समितियों में 'मेसर्स थर्ड आई सिक्योरिटी सर्विसेस' के माध्यम से श्रेणीवार सुरक्षा अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मी रखने की स्वीकृति बोर्ड द्वारा जारी की गयी है, जिसके तहत 'अ' श्रेणी की मंडियों में 40, 'ब' श्रेणी की मंडियों में 30, 'स' श्रेणी की मंडियों में 20 तथा 'द' श्रेणी की मंडयों में 10 सुरक्षा कर्मी रखने के अधिकार मंडी समितियों को प्रदत्त किये गये हैं। इसके साथ ही विभिन्न मंडियों के द्वारा मांग अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को रखे जाने की स्वीकृतियॉ समय—समय पर मंडी बोर्ड द्वारा दी जाती हैं। इस संबंध में जिन मंडियों को अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी रखने की अनुमति दी गयी है, उनकी सूची संलग्न है। कई स्थानों से जिला अधिकारियों के माध्यम से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मंडियों में निरीक्षण के समय सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा कर्मी ड्यूटी स्थल पर नहीं मिलते हैं।

इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

1— सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा गार्ड के नाम की सूची, मोबाईल नम्बर तथा ड्यूटी स्थल एवं ड्यूटी का समय मंडी कार्यालय में प्रदर्शित करें।

2— सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा गार्ड की नियमित उपस्थित मंडी में दर्ज करावें। इसके अतिरिक्त पृथक से एक उपस्थिति रजिस्टर रखा जावे। संबंधित सुरक्षा एजेन्सी को बायोमेट्रिक थम्प मशीन से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। उसके आधार पर ही उनकी ड्यूटी के घण्टे की गणना कर उनके भुगतान की व्यवस्था की जाये।

3— ऐसे सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारी, जो नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं, कार्य में दक्ष नहीं है, उन्हें हटाकर उपयुक्त सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाने को लिखा जाये।

4— कई स्थानों पर यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि विभिन्न मंडी पदाधिकारी के सगे संबंधी तथा परिजन सुरक्षा गार्ड बना दिये गये हैं जो कि अनुबंध की शर्तों के विपरीत है और वह नियमित तौर पर कार्य भी नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति किसी भी मंडी में पाई जाती है तो संबंधित दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी और सुरक्षा कर्मियों को भी वेतन के रूप में भुगतान किया गया है, उसकी वसूली भी उनसे की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियॉ सुनिश्चित करी जावें।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक / बोर्ड / स्की / 19 / P-3 / पार्ट / 107 भोपाल,दिनांक : 26 / 05 / 2018

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— संभागायुक्त ....(समस्त) मध्यप्रदेश।

2— कलेक्टर जिला ....(समस्त) मध्यप्रदेश।

3— संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त) । कृपया सभी मंडियों से सुरक्षा कर्मियों के नाम, संख्या, ड्यूटी आदेश संकलित कर मुख्यालय को प्रेषित करें।

4— मेसर्स थर्ड आई सिक्योरिटी सर्विसेस, अनुबंध की सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

मंडियों अतिरिक्त सुरक्षागार्डों की दी गई स्वीकृति की सूची

क्रमांक	मंडी का नाम	वर्ग	संख्या
1	इन्दौर	क	110
2	शुजालपुर	क	10
3	भोपाल	क	10
4	गंजबासोदा	क	20
5	उज्जैन	क	20
6	जावरा	क	10
7	विदिशा	क	10
8	नीमच	क	10
9	रतलाम	क	05
10	पिपरिया	क	10
11	देवास	क	06
12	आष्टा	क	05
13	दलौदा	घ	10 (पूर्व में दी गयी स्वीकृति को निरंतर रखा गया।)